

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, भोपाल

कैम्प भोपाल (म.प्र.)

निगरानी-4379/2018/रायसेन/भू.श.

निगरानी क्रमांक :

अशोक कुमार आठ श्री नंदलाल,
आयु वयस्क, जाति किरार,
निवासी - ग्राम धनाश्री मेहरागाव खुर्द,
तहसील बरेली, जिला रायसेन (म.प्र.)

अभिभवक श्री... पी... 24/59
द्वारा अपील दिनांक... 12/6/18
ये केवल
अभिभवक

197

निगरानीकर्ता

विरुद्ध

श्री श्री पी... 24/59
द्वारा अपील दिनांक 12/6/18 से
अभिभवक

मानसिंह आत्मज रामफल,
आयु वयस्क, जाति किरार,
ग्राम कोटपार मेहरागाव खुर्द,
तहसील बरेली, जिला रायसेन (म.प्र.)

रेस्पांडेंट श्री...

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता, 1959

महोदय,

निगरानीकर्ता द्वारा निम्नलिखित तथ्यों का वर्णन करते हुए यह निगरानी माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, बरेली, रायसेन द्वारा पारित आदेश प्रकरण क्र. 64/अपील/2017-18, आदेश दिनांक 28.05.2018 से दुःखित होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय में अन्दर म्याद् निम्नलिखित ठोस वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत है:-

प्रकरण के तथ्य

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, बरेली, रायसेन (म.प्र.) ने प्रकरण क्र. 64/अपील/2017-18, आदेश दिनांक 28.05.2018 द्वारा निगरानीकर्ता के विरुद्ध आलोच्य एवं त्रुटिपूर्ण आदेश पारित कर दिया है, जिससे दुःखित एवं असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय में निम्नलिखित ठोस आधारों पर प्रस्तुत है :-

निगरानी के आधार

01. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील बरेली, जिला रायसेन द्वारा पारित किया गया आदेश विधि, प्रक्रिया तथा सहज न्याय के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
02. यह कि, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील बरेली, जिला


न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4379/2018/रायसेन/भू.रा. [अधोद/मानादि]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25-7-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री ओपीयादव द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अनुविभागीय अधिकारी बरेली जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-5-18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिलम्ब का कारण समाधानकारक पाते हुये उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का समय सीमा में मान्य किया है, क्योंकि तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण अंतिम आदेश हेतु 9-10-17 नियत किये जाने के बाद आदेश दिनांक 11-10-17 को जारी किया गया एवं अनावेदक को आदेश की सूचना नहीं दी गई। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण का अभी अंतिम निराकरण होना है जहाँ आवेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।</p>	




अध्यक्ष